न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 341 / 2018

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. मोहनकंवर पत्नि स्व0 हीर सिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी खामल, तहसील सोजत, जिला पाली राज0।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 25.08.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा खामल, तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में प्रार्थिया की पति श्री हीरसिंह पुत्र चिमनसिह की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 571 रकबा 0.8500 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थीया शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया की कब्जासुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया के पति हीरसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति रावणा राजपूत के नाम दिनांक 30.06.1980 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सोजत के द्वारा अलोटमेंट की गई थी। जिसका नामान्तरण संख्या 176 श्रीमान नायब तहसीलदार सोजत के द्वारा दिनांक 17.09.1987 स्वीकृत किया गया, जिस नामन्तरण में प्रार्थीया के पति का नाम हीर सिंह पुत्र चिमनसिंह जाति रावणा राजपुत के नाम से दर्ज सुदा है, जो सही है। उक्त नामान्तरण के बाद बनी जमाबंदी सम्वत् 2047 से 2050 में प्रार्थीयया के पति हीर सिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत दर्ज कर दिया है। जबकि नामान्तरण संख्या 176 के अनुसार प्रार्थीया के पति की जाति रावणा राजपूत दर्ज करना चाहिए था, जो तत्कालिन पटवारी हल्का के सहवन से एवं भूलवश रावणा शब्द दर्ज करना रह गया तथा उसके बाद बनी जमाबंदियों मे भी प्रार्थीया के पति के नाम के पीछे जाति राजपूत के नाम से दर्ज चली आ रही है, जो गलत दर्ज होने से उक्त त्रुटि चली आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीया का पति का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीया अपने पति के स्वर्गवास के बाद उक्त कृषि भूमि का फौतदगी नामा दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त कृषि भूमि में हीरसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत के नाम से दर्ज है। जिस वजह से प्रार्थीया के नाम नामान्तरण दर्ज नही हो सका। प्रार्थीया ने रेकर्ड दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश किया था, जिसके जांच में पाया गया कि हीरसिह पुत्र चिमनसिंह कौम रावणा राजपूत है। राजस्व रेंकर्ड मे त्रुटिवश रावणा शब्द दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला–पाली) राज.

Scanned with CamScanner

करने से रह गया। इसलिए उक्त कृषि भूमि में हीरसिह पुत्र चिमनसिह जाति रावणा राजपूत के नाम से रेकर्ड दुरूस्त कर इन्द्राज किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है उक्त कृषि भूमि ग्राम खामल तहसील सोजत में स्थित होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। अधिक्ता मय प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा खामल पटवार क्षेत्र खामल तहसील सोजत के खसरा संख्या 571 रकबा 0.8500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि में दर्ज खातेदार हीरसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत के स्थान पर हीरसिह पुत्र चिमनसिह जाति रावणा राजपूत किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 25.08.2020 को पेश कर हीरसिंह पुत्र चिमनसिह जाति रावणा राजपूत को दिनांक 30.06.1980 को अलाटमेन्ट की गई। जिसका नामान्तरकरण संख्या 176 राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया गया व तत्पश्चात राजस्व रेकॉर्ड में जाति रावणा रापजूत के स्थान पर राजपूत कर दी गई जिसे रावणा राजपूत किया जाने में कोई आपति नही होना अंकित किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, हीरसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित जमाबन्दियॉ सम्वत् 2063–66, 2067–70, 2071–74, 2047–50, तथा नामान्तरण संख्या 176 के खसरा संख्या 571 की छायाप्रतियां पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीया एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 571 रकबा 0.8500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि में नामान्तरकरण के पश्चात जमाबन्दी में अंकन करने के दौरान हुई त्रुटि को दुरूस्त करते हुये खातेदार हीरसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत के स्थान पर हीरसिह पुत्र चिमनसिह जाति रावणा राजपूत दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित अप्रार्थीगण तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) सोजत द्वारा दुरूस्त प्रवृष्टि किये जाने में कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्र मय उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 176 दिनांक 17.09.1987 नायब तहसीलदार, सोजत द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 09 में प्रार्थिया के पति का नाम हीरसिह पुत्र चीमनसिंह कौम रा0 राजपुत दर्ज सुदा है, किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2047 से 2050 में हीरसिंह पुत्र चिमनसिह कौम राजपुत दर्ज किया जाना अर्थात रा0 राजपुत के स्थान पर राजपुत सहवन से दर्ज होना बखूबी प्रमाणित होता है जो आगे से आगे पश्चातवृति

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

जमाबन्दीयो में यथावत रहा है। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा खामल पटवार क्षेत्र खामल तहसील सोजत के खसरा संख्या 571 रकबा 0.8500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज खातेदार हीरसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत के स्थान पर हीरसिह पुत्र चिमनसिह जाति रा0 राजपूत दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा खामल पटवार क्षेत्र खामल तहसील सोजत के खसरा संख्या 571 रकबा 0.8500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज खातेदार हीरसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत के वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से हीरसिह पुत्र चिमनसिह जाति रा0 राजपूत दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पावती मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner